संख्या–12 15 /59–2–2010–50(खा)/2006

प्रेषक,

अशोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक–07/01/2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की अवशेष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक।

महोदय ,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्र संख्या 1214/खा0ग्रा0बो/जी0बी0यो0/2010–11, दिनांक 11.11.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खादी कामगारों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत ''जनश्री बीमा योजना'' हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 16,25,000.00 (रुपये सोलह लाख पच्चीस हजार मात्र) में से 50 प्रतिशत द्वितीय छमाही हेतु अवशेष धनराशि रुपये 8,12,500.00 लाख (रुपये आठ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :–

1– उक्त स्वीकृत किये जा रहे अनुदान के लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के अध्याय 16 ए में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– स्वीकृत किये जा रहे अनुदान का भुगतान वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–209 एवं 209–ए में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन कराते हुए कराया जायेगा।

3– पूर्व वित्तीय वर्ष में/इस वित्तीय वर्ष में पूर्व में इस मद में संस्था/व्यक्ति आवर्तक अनुदान के रूप में स्वीकृत समस्त धनराशि व्यय कर ली गयी है तथा जो धनराशि व्यय नहीं हो सकी थी उसे राजकोष में समर्पित कर दिया गया है। यह सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् ही प्रश्नगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण अनुमन्य किया जायेगा।

4– यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुदान के उपयोग की पूर्ण निगरानी एवम् सन्निरीक्षा की जायेगी।

5– स्वीकृत किया जा रहा अनुदान जिस कार्य हेतु स्वीकृत किया जा रहा है व्यय उसी कार्य के लिए किया जायेगा। तथा संस्था/व्यक्ति, जिसे अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है, को यह अधिकार नहीं होगा कि वह प्रश्नगत कार्य किसी अन्य संस्था अथवा व्यक्ति से करायें।

6– यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था/व्यक्ति को प्रश्नगत कार्य हेतु राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग अथवा भारत सरकार द्वारा कोई धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

7- उक्त धनराशि से खादी कामगारों के, बीमा प्रीमियम में राज्य सरकार द्वारा देय अंशदान को वहन किया जायेगा।

8- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद व अन्य को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

9- आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-951/दस-2010-231/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 में दिये गये निर्देशों का एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता विषयक समय-समय पर निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-आयोजनेत्तर-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-110-अन्य बीमा योजनाएं-03-जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत खादी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई0-6-651/दस-2010, दिनांक 30-12-2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी की जा रही है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1215 (1)/59-2-2010-तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, संगम पैलेस, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8- एन0आई0सी0) लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अशोक चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com